भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3404
उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

उत्तर प्रदेश में नए केंद्रीय विद्यालय

3404. **श्री लालजी वर्माः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार का उत्तर प्रदेश में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;
(ख) प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय कब तक शुरू होने की संभावना है;
(ग) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में केंद्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;
(घ) यदि हां, तो उक्त केंद्रीय विद्यालयो के कब तक शुरू होने की संभावना है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ) नए केंद्रीय विद्यालय (केवि) खोलना एक सतत प्रक्रिया है। केवि मुख्य रूप से पूरे देश में शिक्षा का एक समान कार्यक्रम प्रदान करने के लिए रक्षा और अर्ध-सैन्य कर्मियों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान (आईएचएल) सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। नए केवि खोलने के प्रस्ताव भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र(यूटी) प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किए जा सकते हैं, जिनमें मानदंडों के अनुसार नए केवि की स्थापना के लिए भूमि और अस्थायी आवास सहित आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता होगी। ये प्रस्ताव मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन होते हैं। केवि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मानदंडों के आधार पर नहीं खोले जाते हैं।

दिसंबर 2024 में, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में 05 नए केवि अर्थात् पयागपुर, जिला जौनपुर, महाराजगंज, जिला महाराजगंज, बिजनौर, जिला बिजनौर, चांदपुर, जिला अयोध्या और कन्नौज, जिला कन्नौज सहित 85 नए केवि को अनुमोदित किया है।

इसके अतिरिक्त, केविसं से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार/जिला प्रशासन से उत्तर प्रदेश में नए केवि खोलने के लिए 04 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथापि, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में नए केवि खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नए केवि खोलने के लिए प्रायोजक प्राधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों की विभिन्न स्तरों पर जांच/प्रक्रिया की जाती है, तथा उसके बाद विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

*****